राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–4339/2022

विनोद कुमारी (कर्मचारी आई.डी.–आरजेजेओ202024009745)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.12.2022

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पुनिया, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी की ओर से संशोधित अपील प्रस्तुत की गई है एवं संशोधित अपील रिकॉर्ड पर लेने के लिए प्रार्थना की गई। प्रार्थना स्वीकार कर संशोधित अपील संशोधित अपील रिकॉर्ड पर ली जाती है।
2. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन नर्स ग्रेड–।। के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन सीएचसी जाखल झुंझुनू से जिला चिकित्सालय फलौदी, जोधपुर किया गया है।
4. उनका तर्क है कि आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष होना मानते हुए उसका स्थानांतरण किया गया है, जबकि वो अधिशेष नहीं है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में है। पति–पत्नी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रखने की सरकार की नीति रही है। इस नीति के विरूद्ध जाकर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है।
5. हमने विद्वान् अधिवक्ता के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
6. आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को अधिशेष होना माना गया है। अपीलार्थी द्वारा जो दस्तावेज आदेश दिनांक 15.09.2021 (अनुलग्नक–2) प्रस्तुत किया गया है,

जिसके द्वारा अपीलार्थीया का वर्तमान स्थान पर पूर्व में पदस्थापन हुआ था। उक्त आदेश दिनांक 15.09.2021 के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी नर्स ग्रेड–द्वितीय का पद धारण करती है और उसका पदस्थापन नर्स–प्रथम के पद के विरूद्ध हुआ था, जिस पद के विरूद्ध वह वर्तमान में कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को अधिशेष होना आलोच्य आदेश दिनांक 03.09.2022 में माना गया है, उसे त्रुटिपूर्ण होना नहीं माना जा सकता है।

7. जहां तक अपीलार्थी को उसके पति के साथ एक ही स्थान पर पदस्थापित रखे जाने का सम्बन्ध है, इस संबंध में अपीलार्थीया अपना प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत करने के लिए स्वंतत्र है। केवल इस आधार पर स्थानांतरण आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम यह पाते हैं कि अपीलार्थी द्वारा बताई गई आपत्ति उचित नहीं है। अतः अपील में कोई बल नहीं होने से अपील ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)